न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

आर्म्स अपील संख्या – 96/2020
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020/00112

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
प्रेमसिंह पुत्र कुशालसिंह राजपूत निवासी रोहिणी तहसील व जिला नागौर		उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक** 11-01-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील आयुध नियम 1962 के नियम 5 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा पारित आदेश क्रमांक न्याय/2019/2654 दिनांक 20.12.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.02.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबे उज्र मयाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दू पर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को सुने बगैर अपीलांट के पीठ पीछे और अपीलांट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया था इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2020 को डाक से प्राप्त हुआ तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने का कथन करते हुए देरी माफ कर अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलांट का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया रिकॅार्ड का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर की ओर से दिनांक 03.12.2019 की तारीख लगा 1 नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अपीलांट ने उपस्थित होकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपना जबाब लिखित में प्रस्तुत कर साक्ष्य सबुत और दस्तावेज पेश करने का समय मांगा। दिनांक 20.12.2019 तारीख लगा, एक आदेश जरिये डाक अपीलांट को 28.01.2020 को प्राप्त हुआ, जिस आदेश के द्वारा अपीलांट के पक्ष में जारी आयुध अनुज्ञा पत्र संख्या 2654/59 निरस्त किया गया, इस आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपीलाधीन आदेश अवैध अनाधिकृत विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलांट को टोपीदार बन्दूक रखने का लाईसेन्स 2654/59 में जारी किया गया था, अपीलांट की बन्दूक जिसका अनुज्ञा पत्र जारी किया गया था, उस बन्दूक के नम्बर 226 है। उस बन्दूक का अनुज्ञा पत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र के लिये अपीलांट को जारी किया गया था, इस अनुज्ञा पत्र की अवधि सन् 2018 तक थी। इसकी अवधि बढ़ाये जाने हेतु अपीलांट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन पेश किया था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने अनुज्ञा बढ़ाने के [illegible] और बिना अधिकार के अपीलांट का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट ने उपखण्ड [illegible] 13.12.2019 को जारी नोटिस का जबाब प्रस्तुत कर बताया कि अपीलांट को अपनी [illegible] के लिए बन्दूक रखने हेतु सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में बन्दूक को रखने का अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ है। सन् 2014 में [illegible] बन्दूक लेकर अपने दामाद (जंवाई) फैफसिंह पुत्र देवीसिंह [illegible] निवासी देणोक के यहां गया था तथा वहां से रवाना होते बन्दूक वहां पर भूल गया था तथा बिमार हो जाने से वापिस बन्दूक लेने समय पर देणोक नहीं जा सका, इस दरमियान पुलिस द्वारा फैफसिंह की घर की तलाशी लेने पर अपीलांट की

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

बन्दूक फैफसिह के घर से बरामद कर फैफसिंह के विरूद्व अवैध रूप से बन्दूक रखने का मुकदमा दर्ज कर फैफसिंह के विरूद्व फलौदी न्यायालय में चालान पेश कर दिया। अपीलांट के खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा इस बन्दूक बाबत् नहीं है।

अपीलांट या अपीलांट के जंवाई फैफसिंह ने इस बन्दूक से किसी प्रकार का अपराध कार्य नहीं किया था, वर्तमान में बन्दूक थाने में जमा है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने अपीलांट का अनुज्ञा पत्र खारिज करते समय न तो इस जबाब का अवलोकन किया न विवेचन किया। जबाब की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट ने अधिनियम, कानून तथा अनुज्ञा पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया और न ही बन्दूक (शस्त्र) से किसी प्रकार का कोई अपराध कारित किया, न किसी अन्य ने इस शस्त्र का दुरूपयोग या अपराध कारित किया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। सम्पूर्ण कार्यवाही व निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर को अपीलांट का अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का अधिकार नहीं था। फैफसिंह के विरूद्व चल रहे आपराधिक मुकदमे में निर्णय नहीं होने तक अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का अधिकार नहीं होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाकर अपीलांट के नाम जारी अनुज्ञा पत्र की अवधि बढ़ाई जाने तथा अनुज्ञा पत्र बहाल करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपनी टोपीदार बन्दुक नम्बर 226 के संबंध में शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन करने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र संख्या 2654/58 के नवीनीकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी से रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी की जॉच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2019 एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आपराधिक प्रकरण संख्या 162/2014 पुलिस थाना मतोड़ा जिला जोधपुर में उक्त बन्दुक संख्या 226 जब्त किया जाना पाया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में जबाब मय दस्तावेज के प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट पत्र (नोटिस) दिनांक 03.12.2019 जारी किया। उक्त नोटिस संबंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.12.19 को जबाब प्रस्तुत कर जबाब में कथन किया सन् 2014 मैं बन्दूक लेकर अपने जंवाई श्री फेफसिंह पुत्र देवीसिंह इन्दा निवासी देणोक के यहां गया था तथा वहां से वापस रवाना होते बन्दुक वहीं पर भूल गया था तथा बीमार हो जाने हो जाने से वापस बन्दूक लेने समय पर देणोक नहीं जा सका इस दरमियान पुलिस द्वारा फेफसिंह के घर की तलाशी लेने पर मेरी उक्त बन्दूक फेफसिंह के घर से बरामद कर फेफसिंह के विरूद्व अवैध रूप से बन्दूक रखने का मुकदमा दर्ज कर फेफसिंह के विरूद्व फलौदी न्यायालय में चालान पेश कर दिया मेरे खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा इस बन्दुक बाबत नहीं होने का कथन करते हुऐ अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण का अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है। प्रकरण में अपीलान्ट को बन्दुक स्वंय के कब्जे में रखने बाबत शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है, इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट का उक्त जबाब सन्तोष जनक नहीं पाये जाने पर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो उचित होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी टोपीदार बन्दुक नम्बर 226 के संबंध में शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन करने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र संख्या 2654/58 के नवीनीकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी से रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी की जॉच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2019 में बिन्दु संख्या–13 में अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है एवं अनुज्ञाधारी का हथियार पुलिस थाना मतोड़ा में जप्त किया जाना बताया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर के स्मरण पत्र कमांक–1903 दिनांक 31.08.2019 के पीछे के पृष्ठ पर एच.एम. काईम पुलिस थाना श्रीबालाजी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पेमसिंह द्वारा बताया कि उसकी बन्दुक मतोड़ा पुलिस थाने में मु0नं0 162/14 में थाने पर रखवा रखी है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 162/2014 पुलिस थाना मतोड़ा जिला जोधपुर के अनुसार पेम्पसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत से एक टोपीदार बन्दुक संख्या 226 भी जप्त की गई है। इस प्रकार थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा करने

पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 03.12.2019 को नोटिस जारी कर उसमें उल्लेखित किया कि "थानाधिकारी श्रीबालाजी से जॉच रिपोर्ट बिन्दुवार चाही गई, जिसकी जॉच रिपोर्ट पत्र कमांक 3571 दिनांक 05.11.2019 के द्वारा अवगत करवाया कि आपके विरूद्ध प्रकरण संख्या 162/2014 थानाधिकारी मतौड़ा में दर्ज होने से आपकी बन्दूक संख्या 226 मतौड़ा थानाधिकारी (फलौदी) थानाधिकारी के द्वारा जब्त कर थाने में जमा होना बताया है, जो आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लघंन है।" उक्त संबंध में जबाब मय दस्तावेज के प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट उक्त नोटिस दिनांक 03.12.2019 जारी किया। उक्त नोटिस संबंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.12.19 को जबाब प्रस्तुत कर जबाब में कथन किया सन् 2014 मैं बन्दूक लेकर अपने जंवाई श्री फेफसिंह पुत्र देवीसिंह इन्दा निवासी देणोक के यहां गया था तथा वहां से वापस रवाना होते बन्दुक वहीं पर भूल गया था तथा बीमार हो जाने हो जाने से वापस बन्दूक लेने समय पर देणोक नहीं जा सका इस दरमियान पुलिस द्वारा फेफसिंह के घर की तलाशी लेने पर मेरी उक्त बन्दूक फेफसिंह के घर से बरामद कर फेफसिंह के विरूद्ध अवैध रूप से बन्दूक रखने का मुकदमा दर्ज कर फेफसिंह के विरूद्ध फलौदी न्यायालय में चालान पेश कर दिया मेरे खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा इस बन्दुक बाबत नहीं होने का कथन करते हुऐ अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण का अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश निर्णय जैर अपील दिनांक 20.12.2019 में यह उल्लेखित करते हुए कि "जॉच रिपोर्ट कमांक–3571 दिनांक 05.11.2019 के द्वारा अवगत कराया कि आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 162/2014 थानाधिकारी मतौड़ा(फलौदी) में दर्ज होने से आपकी बन्दूक संख्या 226 मतौड़ा थानाधिकारी द्वारा जब्त कर थाने में जमा होना बताया है। एवं अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। थानाधिकारी श्रीबालाजी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी ने आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया है। जिसके संबंध में प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है।" उल्लेखित करते हुऐ अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 2654/59 को निरस्त कर उसमें दर्ज बन्दूक संख्या गन संख्या 226 को पुलिस थाना श्रीबालाजी में जमा करवाने हेतु पाबन्द किया है।

उक्तानुसार दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना मतौड़ा में दर्ज मुकदमा संख्या 162/2014 में अपीलान्ट की बन्दुक संख्या 226 अवश्य जब्त की गई है परन्तु उक्त मुकदमें में अपीलान्ट को भी मुलजिम बनाया गया हो, अथवा उक्त मुकदमा अपीलान्ट के भी विरूद्ध हो यह रिकार्ड से कहीं भी स्पष्ट नहीं है, फिर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील आदेश में उक्त मुकदमा अपीलान्ट के विरूद्ध किस प्रकार है, कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश निर्णय जैर अपील में उल्लेख किया है कि प्रार्थी (अपीलान्ट) ने आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया है, परन्तु अपीलान्ट के किस कृत्य से आर्म्स एक्ट की किस धारा अथवा किस शर्त का उल्लंघन किया है, यह भी अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील आदेश में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील आदेश से अपीलान्ट को बन्दुक संख्या 226 को पुलिस थाना श्रीबालाजी में जमा कराने हेतु पाबन्द किया है, परन्तु उक्त बन्दुक संख्या 226 मुकदमा संख्या–162/2014 में वास्ते वजह सबूत पुलिस थाना मतौड़ा द्वारा जब्त है एवं अपीलान्ट के अनुसार उक्त मुकदमें में फेफसिंह के विरूद्ध फलौदी न्यायालय में चालान पेश कर दिया है, तो फिर उक्त जब्तशुदा बन्दुक संख्या 226 को अपीलान्ट पुलिस थाना श्रीबालाजी में किस प्रकार से जमा करा सकेगा, अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील अस्पष्ट, तथ्यहीन होकर तथा विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रकरण इस निर्णय में दिये गये तथ्यों के सन्दर्भ में तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं के ध्यान में रखते हुए पुनः सुनवाई कर प्रकरण में नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा पारित आदेश जैर अपील को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह इस निर्णय में [illegible] एवं कानूनी बिन्दुओं के ध्यान में रखते हुए एवं पुनः सुनवाई कर प्रकरण में नये [illegible] सम्मत आदेश पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड [illegible] जावे।

निर्णय सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:25 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)